आदेश की क्रम सं० [illegible]	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

०१/९/२४

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 37/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता बालभीर राम, पिता–भनु भगत, ग्राम – खनगाह, थाना+जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
103	–	03 डी0	उत्तर–जमई भगत दक्षिण–देवलाल सिंह पूरब– नीज पश्चिम–रामेश्वर साव

मौजा– महुअरी नुरूल्लाह, थाना नं०–25, थाना+अंचल–अरवल, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल के द्वारा नोटिस तामिला एवं जॉच प्रतिवेदन समप्ति किया गया।जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वर्तमान कब्जाधारी को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। भूदाता के तरफ से यदुनन्दन प्रसाद, पिता–बालगीर राम न्यायालय में उपस्थित हुए। कब्जाधारी के तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नही हुए और ना ही किसी के द्वारा वर्णित भूमि के संबंध में आपति दर्ज किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों का आलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। भूदाता द्वारा वर्णित भूमि दिनांक 11.02.1954 में दान दिया गया है। अचंल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि वर्णित भूमि का खतियान उपलब्ध नहीं है। खतियानी रैयत एवं भूदाता का संबंध स्पष्ट नही है। रामवली सिंह यादव, पिता–स्व0 रामदहीन सिंह के नाम पर जमागंदी 191/6, 02/1 चल रही है। वर्तमान कब्जाधारी एवं भूदाता का कोई संबंध नहीं है। वर्णित भूमि पर रामवली सिंह यादव, पिता–स्व0 राम दहीन सिंह दखल कब्जा में है। वर्तमान में वर्णित भूमि पर मकान एवं हाता निर्मित है। भूदाता के तरफ से उपस्थित यदुनन्दन सिंह ने कहा है कि मुझे दान पत्र के संबंध में मुझे जानकारी नही है। इनके द्वारा लिखित आवेदन दाखिल नही किया हैं।

भू–दाता वर्णित भूमि दान पत्र के माध्यम से दिनांक 11.02.1954 में दान दी गई है, जिसका जमाबंदी रामवली सिंह यादव, पिता–स्व. राम दहीन सिंह के नाम पर जमावंदी सख्या– 191/6, 2/1 दर्ज है। वर्तमान में वर्णित भूमि पर जमाबंदीधारक दखल कब्जा में है। वर्णित भूमि पर जामाबंदीधारक का मकान एवं हता निर्मित है।अतः अंचल अधिकारी, अरल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वर्तमान कब्जाधारी/खतियानी रैयत एवं भूदाता का संबंध स्पष्ट नही है एवं वर्णित भूमि पर मकान एवं हाता की भूमि को संपुष्ट करना उचित प्रतीत नही होता है। भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि को असंपुष्टि किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

०९/९/२४

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

०९/०९/२४

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।